न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 11/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2021/12

उनवान

1. गीता देवी पत्नी स्व0 श्याम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. रीना पुत्री स्व0 श्याम सिंह पत्नी शिवलहरी जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
3. गायत्री पुत्री श्याम सिंह पत्नी योगेश जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र श्याम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
2. खगेन्द्र पुत्र श्याम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
3. भूदेव पुत्र श्याम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
4. तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 11.11.2019 प्र.संख्या 102/12 उनवानी गीता बनाम संतोष वगै0।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित।

निर्णय दिनांक—13.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 के

पति/पिता श्याम सिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। श्याम सिंह की मृत्यु पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी को अकेले अपने नाम दाखिला खारिज खुलवा लिया। जबकि वादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में समभाग की खातेदार काश्तकार हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अपीलाण्ट ने अपने दावे में मुख्य दादरसी विवादित आराजी में स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु चाही गयी थी एवं द्वितीय दादरसी रिलीज डीड को निरस्त कराने हेतु चाही गयी थी। कानूनी प्रावधानो के तहत जब दावे मे मुख्य दादरसी काश्तकार घोषित करने की हो तो राजस्व न्यायालय को ही दावा सुनने का अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश में यह मानना की मुताबिक रिलीज डीड वादीगण/अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। बिल्कुल गलत है। क्योंकि वादीगण/अपीलाण्ट अपने दावे में स्पष्ट लिखकर आई हैं कि रिलीज डीड के बारे में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं है। विरासत का दाखिल खारिज कह कर रैस्पो0 ने अपीलाण्ट से साजपूर्वक रिलीज डीड निष्पादित कराई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायायिक नजीर आर0आर0टी0 2019(1) पेज 291 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा रैस्पो0 के पक्ष में जो रिलीज डीड निष्पादित की है, वह उपपंजीयक द्वारा प्रमाणित है। अतः उसे निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। रैस्पो0 संतोष कुमार, श्याम सिंह की पहली पत्नी का पुत्र है। अपीलाण्ट उसे हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। अपीलाण्ट ने दिनांक 30.11.2011 को रिलीज डीड निष्पादित की, रिलीज डीड के बाद जमाबन्दी में अमल हो चुका है। इसके अलावा रिलीज डीड के बाद अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई हक व कब्जा शेष नहीं रहता है, तो खातेदारी किस प्रकार दी जा सकती है। अपीलाण्ट यदि रिलीज डीड को फर्जी व साजपूर्वक होना कथन करते हैं, तो उन्हें सिविल कोर्ट में चुनौती देनी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायायिक नजीर आरआरडी 1989 पेज 111, 2000 पेज 483, 2012(1) पेज 636 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट कथित रिलीज डीड को साजपूर्वक व तथ्यों को छुपाते हुये निष्पादित होना कथन करते हुये, विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हैं। हम पाते हैं कि कथित रिलीज डीड उप पंजीयक द्वारा प्रमाणित है एवं उक्त रिलीज डीड के पश्चात् रैस्पो0 वर्तमान में विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। जहॉ तक रिलीज डीड का साजपूर्वक व तथ्यों को छुपाते हुये, अपीलाण्ट की बिना जानकारी में होने का प्रश्न है। मात्र दावे में उल्लेख कर देने से उक्त रिलीज डीड को तव तक गलत नहीं ठहराया जा सकता, जव तक उसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर देते। इसके अलावा रिलीज डीड एक वार उप पंजीयक के समक्ष निष्पादित होकर पंजीवद्ध हो जाये तो उसे निरस्त कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर, सिविल न्यायालय को है। रिलीज डीड में वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त नहीं होना अंकित किया है। अतः विना कब्जे काश्त विवादित आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। उक्त रिलीज डीड को निरस्त कराने हेतु वादीगण/अपीलाण्ट ने सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही की गयी हो। ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलाण्ट अपने दावे को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहें हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2019 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम की जावे तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर